



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-1583/JH/9/2023-ESDW

दिनांक: 27.09.2024

सेवा में,

श्री चन्दन कुमार सिन्हा,  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,  
जिला-रांची,  
झारखंड पुलिस मुख्यालय,  
धुर्वा, रांची-834004, झारखंड,  
ई-मेल: [ssp-ranchi@jhpolicen.gov.in](mailto:ssp-ranchi@jhpolicen.gov.in)  
फोन नं. 0651-2200237

विषय: भू-माफियाओं द्वारा आवेदक की भूमि पर जबरन कब्जा करने के संबंध में श्री संदीप उराँव, ग्राम-हरमू टोंगरी टोली, जतरा मैदान के पास, थाना-अरगोडा, वार्ड सं.-26, जिला-रांची, झारखण्ड-834002 का दिनांक 06.04.2023 का अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 24.04.2023.

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए **राजकीय अतिथिशाला, मोरहाबादी, रांची, झारखंड में दिनांक 04.10.2024 को 03:40 बजे** सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** और माननीय सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(एच. आर. मीना)  
अनुसंधान अधिकारी

ई-मेल: [researchofficer-esdw@ncst.nic.in](mailto:researchofficer-esdw@ncst.nic.in)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

- माननीय सदस्य महोदया (अ.ल.) के निजी सचिव।
- एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-1583/JH/9/2023-ESDW

दिनांक: 27.09.2024

सेवा में,

श्री राहुल कुमार सिन्हा,  
उपायुक्त, रांची,  
कचहरी चौक ब्लॉक-बी,  
कमरा नंबर-504,  
राँची-834001, झारखण्ड  
ई-मेल: [dc-ran@nic.in](mailto:dc-ran@nic.in)  
फोन नं. 0651-2214001

विषय: भू-माफियाओं द्वारा आवेदक की भूमि पर जबरन कब्ज़ा करने के संबंध में श्री संदीप उराँव, ग्राम-हरमू टोंगरी टोली, जतरा मैदान के पास, थाना-अरगोडा, वार्ड सं.-26, जिला-रांची, झारखण्ड-834002 का दिनांक 06.04.2023 का अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 24.04.2023.

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए **राजकीय अतिथिशाला, मोरहाबादी, रांची, झारखंड में दिनांक 04.10.2024 को 03:40 बजे** सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** और माननीय सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(एच. आर. मीना)  
अनुसंधान अधिकारी

ई-मेल: [researchofficer-esdw@ncst.nic.in](mailto:researchofficer-esdw@ncst.nic.in)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

- माननीय सदस्य महोदया (अ.ल.) के निजी सचिव।
- एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।





## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-1583/JH/9/2023-ESDW

दिनांक: 27.09.2024

सेवा में,

श्री संदीप सिंह,  
प्रशासक,  
रांची नगर निगम,  
कचहरी रोड, रांची-834001,  
झारखंड  
ई-मेल: support@ranchimunicipal.com

विषय: भू-भाफियाओं द्वारा आवेदक की भूमि पर जबरन कब्जा करने के संबंध में श्री संदीप उराँव, ग्राम-हरमू टोंगरी टोली, जतरा मैदान के पास, थाना-अरगोडा, वार्ड सं.-26, जिला-रांची, झारखण्ड-834002 का दिनांक 06.04.2023 का अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 24.04.2023.

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए **राजकीय अतिथिशाला, मोरहाबादी, रांची, झारखंड में दिनांक 04.10.2024 को 03:40 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।**

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** और माननीय सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

  
(एच. आर. मीना)  
अनुसंधान अधिकारी

ई-मेल: [researchofficer-esdw@ncst.nic.in](mailto:researchofficer-esdw@ncst.nic.in)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

- माननीय सदस्य महोदया (अ.ल.) के निजी सचिव।
- एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-1583/JH/9/2023-ESDW

दिनांक: 27.09.2024

सेवा में,

श्री संदीप उराँव,  
ग्राम-हरमू टोंगरी टोली,  
जतरा मैदान के पास, थाना-अरगोडा,  
वार्ड सं.-26, जिला-रांची,  
झारखण्ड-834002  
फोन नं. 6203640664

विषय: भू-माफियाओं द्वारा आवेदक की भूमि पर जबरन कब्जा करने के संबंध में श्री संदीप उराँव, ग्राम-हरमू टोंगरी टोली, जतरा मैदान के पास, थाना-अरगोडा, वार्ड सं.-26, जिला-रांची, झारखण्ड-834002 का दिनांक 06.04.2023 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग की माननीय सदस्य (डॉ. आशा लकड़ा) ने आपके मामले में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ राजकीय अतिथिशाला, मोरहाबादी, रांची, झारखंड में दिनांक 04.10.2024 को 03:40 बजे बैठक तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से सूचित कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

(एच. आर. मीना)  
अनुसंधान अधिकारी

ई-मेल: [researchofficer-esdw@ncst.nic.in](mailto:researchofficer-esdw@ncst.nic.in)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. माननीय सदस्य महोदया (अ.ल.) के निजी सचिव।
2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।